न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली (राज०)
पीठासीन अधिकारी - देवेन्द्र कुमार, आर.जे.एस

....

नियमित आपराधिक /सी.आई.एस संख्या - 1683/2017
एफआईआर संख्या- 126/2017, पुलिस थाना श्रीमहावीरजी
अपराध अन्तर्गत धारा 332, 353, 228 भादसं व 3 पीडीपीपी एक्ट

भाग प्रथम (A)

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	सुरेश चंद पुत्र ओमप्रकाश, निवासी गढमौरा हाल निवासी बनवारीपुरा मोड श्रीमहावीरजी जिला करौली (राज.)
प्रतिनिधत्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री सुनीलदत्त शर्मा
(B)	
अपराध की दिनांक	09.08.2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	09.08.2017
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	04-09-2017
आरोप विरचित करने की दिनांक	19.09.2017
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	04.10.2017
निर्णय आरक्षित करने की दिनांक	04.06.2026
निर्णय दिनांक	04.06.2026
दण्डादेश की दिनांक	04.06.2026

भाग द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह की सूची

अभियोजन गवाहान

पी.ड.	नाम गवाह	गवाह बाबत
पी.ड. 1	श्रीमति भावना भार्गव	परिवादिया
पी.ड. 2	अशोक कुमार	चश्मदीद
पी.ड. 3	गजराज	चश्मदीद
पी.ड. 4	जगमोहन	चश्मदीद
पी.ड. 5	श्रीभान सिंह	चश्मदीद
पी.ड. 6	विनोद कुमार	चश्मदीद
पी.ड. 7	सौरभ	चश्मदीद
पी.ड.8	विनोद	चश्मदीद
पी.ड.9	राधेश्याम	चश्मदीद
पी.ड.10	सुरेश चंद	मालखाना प्रभारी

पी.ड.11	रामफूल	चश्मदीद
पी.ड.12	जगमोहन	चश्मदीद
पी.ड.13	लालसिंह	डीओ ड्यूटी
पी.ड.14	रवि कुमार	फर्द गिरफतारी
पी.ड.15	पृथ्वी सिंह	चश्मदीद

बचाव पक्ष गवाहान

--	--	--

न्यायालय गवाह

--	--	--

<u>अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श</u>

अभियोजन प्रदर्श

दस्तावेज	नाम दस्तावेजात
प्रदर्श पी 1	तहरीरी रिपोर्ट
प्रदर्श पी 2	आदेशिका की सत्यप्रति
प्रदर्श पी 3	नक्शा मौका
प्रदर्श पी 4	सरकार बनाम अखिलेश इस्तगासा की सत्यप्रति
प्रदर्श पी 5	सरकार बनाम अखिलेश में आदेशिका की सत्यप्रति
प्रदर्श पी 6	सरकार बनाम राजकुमार इस्तगासा
प्रदर्श पी 7	कार्यग्रहण प्रमाण पत्र
प्रदर्श पी8	उपस्थिति रजिस्टर की सत्यप्रति
प्रदर्श पी 9	फर्द जप्ती चप्पल
प्रदर्श पी 10	फर्द जप्ती 510 सीआरपीसी के दो इस्तगासा
प्रदर्श पी 11	अभिभाषक संघ का निंदा प्रस्ताव की प्रति
प्रदर्श पी 12	पुलिस बयान श्रीभान
प्रदर्श पी 13	पुलिस बयान विनोद
प्रदर्श पी 14	पुलिस बयान विनोद पुत्र बद्रीलाल
प्रदर्श पी 15	पुलिस बयान राधेश्याम
प्रदर्श पी 16	मालखाना रजिस्टर की प्रति
प्रदर्श पी 17	चाक एफआईआर
प्रदर्श पी 18	फर्द गिरफताररी

बचाव प्रदर्श

प्रदर्श डी 1	पुलिस बयान अशोक
प्रदर्श डी 2	पुलिस बयान गजराज

न्यायालय प्रदर्श

आर्टीकल 1	चप्पल

निर्णय दिनांक : 04-06-2026

1. इस निर्णय के द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीमहावीरजी की ओर से जरिये अभियोजन अधिकारी प्रस्तुत एफआईआर संख्या 126/17 का निस्तारण किया जा रहा है। हस्तगत प्रकरण श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली के आदेश क्रमांक 75 दिनांक 09.12.25 की अनुपालना में सुनवाई हेतु न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली से इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं परिवादिया श्रीमति भावना सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमहावीरजी ने इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 09.08.2017 को पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायालय में न्यायिक कार्य किये जाते समय करीब सवा दो बजे सुरेश चंद अपने इस्तगासा सुरेश व अन्य में उपस्थित आये तथा मुझ पीठासीन अधिकारी से सुरेशचंद द्वारा अपमानजनक अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिस पर मुझ पीठासीन अधिकारी द्वारा उन्हें गरिमा में रहते हुऐ व्यवहार करने के लिये आग्रह किया जिस पर उनके द्वारा कोधित होकर डायस पर चढकर परिवाद 510 दं.प्र.सं सरकार /राजकुमार, सरकार/अखलेश की पत्रावलियों को फाड दिया और न्यायिक कार्य में विघ्न डाला गया डायस का अपमान किया गया और मुझ पीठासीन अधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन से निवारित करने हेतु भयोपरत किया गया। उक्त घटना के समय इजलास में रामफूल रीडर, सौरभ, अशोक कुमार च.श्रे.कर्म., जगमोहन च.श्रे. कर्म., जगमोहनसिंह अधिवक्ता राधेश्याम अधिवक्ता, श्रीभानसिंह अधिवक्ता, विनोदकुमार, विनोद वर्मा, गजराजसिंह कांस्टेबल पृथ्वीसिंह कांस्टेबल उपस्थित थे। सुरेशचंद शर्मा का उक्त कृत्य धारा 228,332,353 भा.दं.सं. के तहत आता है ....आदि

3. उक्त लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना श्रीमहावीरजी द्वारा एफआईआर संख्या 126/17 अंतर्गत धारा 228, 332, 353 भादंसं में पंजीबद्ध किया जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त सुरेश चंद के विरूद्ध धारा 228, 332, 353 भादंसं एवं 3 पीडीपीपी एक्ट के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

4. आरोप पत्र में वर्णित धाराओं में अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्त को धारा 228, 332, 353 भादंसं एवं 3 पीडीपीपी एक्ट के आरोप पृथक से विरचित कर लिखित रूप से सुनाया गया। अभियुक्त द्वारा आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के पश्चात अभियुक्त के धारा 313 जा.फौ.में बयान मुल्जिम लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्ष्य को गलत होना व्यक्त करते हुये साक्ष्य सफाई पेश करना जाहिर किया। साक्ष्य सफाई का अवसर दिये जाने के बावजूद पेश नहीं करने पर साक्ष्य सफाई बंद की गयी तथा अतिरिक्त कथन में स्वयं पर लगाये गये आरोप मिथ्या होना तथा स्वयं के खिलाफ

गवाही षडयंत्रपूर्वक दिया जाना तथा जिस दिन का आरोप है उस दिन ड्रेस कोड में होना जाहिर किया है।

6. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन की ओर से हस्तगत प्रकरण पूर्णतः प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जावें।

7. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष का तर्क रहा है कि हस्तगत प्रकरण अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मनगढंत तथ्यों के आधार पर दर्ज हुआ है। प्रकरण में लिखित रिपोर्ट में चप्पल फेंकने का इंद्राज नहीं है। चप्पल फेंकने का तथ्य लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात धारा 161 सीआरपीसी के बयानों में लिया गया है जब कि लिखित रिपोर्ट में संपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। यदि लिखित रिपोर्ट में किसी भी तथ्य का उल्लेख नहीं है तो पश्चातवर्ती सोच के पश्चात उक्त तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही दौराने बहस यह भी कथन किया गया कि प्रकरण में चप्पल को सीलमोहर नहीं किया गया है जो कि प्रकरण पर विपरीत प्रभाव डालता है। प्रकरण में मौके पर उपस्थित चश्मदीद साक्षी जो बतौर अधिवक्ता के रूप में प्रस्तुत हुये थे वह सभी गवाह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुये है। गवाह जगमोहन अभियुक्त से रंजिश रखता है जिसके कारण अधिवक्ता जगमोहन द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत की है। प्रकरण में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वह साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत नहीं होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रकरण में संदेह जनक परिस्थितियां है जिनका परिलाभ अभियुक्त को प्रदान किया जावे। परिणामतः अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

8. न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि **अभियुक्त ने दिनांक 09.08.2017 को समय 2.00-2.15 पीएम या लगभग श्रीमति भावना जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमहावीरजी के पद पर लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही थी, को लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत कर आपराधिक बल का प्रयोग कर स्वेच्छाया उपहति कारित कर न्यायिक कार्य में विघ्न डाला तथा दांडिक परिवाद सरकार बनाम राजकुमार व सरकार बनाम अखलेश की पत्रावलियों को यह जानते हुये फाड दिया।**

9. यदि हॉं तो दंड की मात्रा क्या होगी ?

10. उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

11. विचारणीय प्रश्न के संबंध में पत्रावली पर आयी साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रकरण में परिवादिया श्रीमति भावना पी0 ड0 01 परीक्षित हुयी है जो अपनी मुख्य परीक्षा में व्यक्त करती हैं कि दिनांक 2.8.2017 से दिनांक 9.4.2018 तक सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर श्रीमहावीरजी जिला करौली के पद पर पदस्थापित थी। दिनांक 9.8.2017 को करीब दो बजे

न्यायालय मे इजलास में अपनी सीट पर बैठकर न्यायिक कार्य कर रही थी तब एक इस्तगासा सुरेश बनाम अन्य मे अधिवक्ता श्री सुरेशचंद उपस्थित हुये। उनको सुनकर धारा 200 व 202 सीआरपीसी के तहत इस्तगासे मे बयान कराने के लिए कहा। जिस पर सुरेशंचद क्रोधित हो गये और अपमानजनक व अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। उनके द्वारा न्यायालय मे गरिमा को बनाये रखने के लिए कहा गया। जिस पर वह अत्यधिक क्रोधित हो गये और उनके द्वारा इजलास पर रखी गई पत्रावली उठाकर फाड दी। यह पत्रावलियां धारा 510 दंड प्रक्रिया सहिंता के इस्तगासे थे। जिनके उनवान सरकार बनाम राजकुमार और सरकार बनाम अखिलेश थे। इसके बाद सुरेशचंद द्वारा उनके पैर मे पहनी हुई चप्पल खोलकर उनके उपर फेंक दी जो चप्पल दाहिने कंधे पर आकर लगी। इसके बाद सुरेशचंद न्यायालय छोडकर भाग गये। इसके बाद घटना की तहरीर रिपोर्ट टाइप कराई गई, जो अशोक कुमार के द्वारा थानाधिकारी श्रीमहावीरजी को भेजी। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 1, सुरेश बनाम अन्य इस्तगासे की प्रमाणित कॉपी जो प्रदर्श पी 2 है, नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 है, सरकार बनाम अखिलेश इस्तगासा अतंर्गत 510 आईपीसी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 4 है, सरकार बनाम अखिलेश की ऑर्डरशीट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 5 है, इस्तगासा 510 आईपीसी सरकार बनाम राजकुमार जो प्रदर्श पी 6 है। कार्यग्रहण प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 7 है, उपस्थित रजिस्टर की प्रमाणित प्रति पी 8 है। इस बाबत अभिभाषक संघ द्वारा हस्ताक्षर कर संघ के पत्र पर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसकी फोटोकॉपी पत्रावली में संलग्न है।

12. प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन करती हैं कि एफआईआर प्रदर्श पी 1 मेरे निर्देशन में बोलकर टाइप की गई थी, मेरे द्वारा टाइप नहीं की गई थी। यह भी कहना सही है कि उक्त तहरीर रिपोर्ट में टाइप करने वाले व्यक्ति का नाम अंकित नहीं है। यह बात सही है कि एफआईआर मे जो लिखा है, उससे अधिक घटना नहीं हुई। एफआईआर पढकर के हस्ताक्षर किये गये थे। एफआईआर रिपोर्ट न्यायालय समय पश्चात करीब छह बजे लिखवाई थी। यह कहना सही है कि थाने नहीं गई थी, तहरीर रिपोर्ट भिजवा दी थी। उनके 161 सीआरपीसी के बयान घटना के दिन ही हुये थे। यह बात सही कि चप्पल फेंकने वाली बात एफआईआर में नहीं लिखवाई क्योंकि बार व बेंच के सामजस्य को रखते हुये प्रचारित नहीं करना चाह रही थी।

13. गवाह से प्रश्न किया गया कि आपने तहरीर रिपोर्ट में चप्पल फेंकने की बात नहीं लिखवाई है जिसका गवाह ने उत्तर दिया जी हां नहीं लिखवाई है, अजखुद कहा क्योंकि बार व बेंच के सामजस्य के कारण मै इसको प्रचारित नहीं करना चाह रही थी। गवाह से प्रश्न किया गया कि आपके द्वारा एफआईआर का मुख्य्य तथ्य छिपाया गया है जिसका उत्तर दिया यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा मुख्य्य तथ्य छिपाया गया हो, बल्कि एफआईआर में सारवान बाते लिखवा दी गई थी।गवाह से प्रश्न किया गया कि आपके द्वारा वाइटल फैक्ट अर्थात सारभूत तथ्य छुपाया गया था जिसका उत्तर दिया कि

यह कहना गलत है कि मैने सारभूत तथ्य छुपाया हो, आज खुद कहा, कि उसने न्यायिक कार्य मे विघ्न डालने वाली बात लिखवाई थी। यह कहना सही है कि वक्त घटना वह इजलास में अपने कुर्सी पर बैठी थी व अभियुक्त अधिवक्ता के रूप में खड़े थे। यह आज नहीं बता सकती कि कुल कितनी दूरी पर अभियुक्त खडा था। यह कहना गलत है कि वकील साहब द्वारा कोई स्वेच्छा उपहति कारित नहीं की गई हो। यह कहना सही है कि वकील साहब द्वारा स्वंय के शरीर द्वारा उनके पर मारपीट नहीं की गई, आज खुद कहा कि उनके द्वारा चप्पल फेंकी गई थी। यह कहना गलत है कि चप्पल ना फेंकी गई हो।

14. गवाह से प्रश्न किया गया कि देखिये वकील साहब द्वारा कोई चप्पल नहीं फेंकी गई थी, जिसके कारण ही आपके द्वारा तहरीर रिपोर्ट मे चप्पल फेंकने वाली बात नहीं लिखवाई गई थी जिसका उत्तर दिया कि वकील साहब द्वारा चप्पल फेंकी गई थी, तहरीर रिपोर्ट में अक्षरसत् विशिष्ट तथ्यो का अंकन नहीं किया गया था। गवाह से प्रश्न किया गया कि 161 सीआरपीसी के बयान देते समय आपके द्वारा कानूनी मशवरा चप्पल फेंकने की बात बढाई गई, चप्पल का रंग कैसा था जिसका उत्तर दिया कि यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा कानूनी मशवरा करने के पश्चात चप्पल फेंकने की बात पुलिस बयान में बढाई गई, आज खुद कहा कि मुझे स्वय को कानूनी ज्ञान की जानकारी है। चप्पल का रंग शायद काले रंग का था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 2 नकल शाखा द्वारा प्रमाणित करके पेश नहीं की गई है। आज खुद कहा कि वह मेरे द्वारा प्रमाणित की गई है। प्रदर्श पी 2 किसके पॉवर पजेशन मे था का गवाह ने उत्तर दिया कि उक्त दस्तावेज न्यायालय के फौजदारी लिपिक के पास था, उसके नाम मुझे आज ध्यान नहीं है। यह कहना सही है कि उक्त प्रदर्श पी उस प्रमाणित करने की तारीख अंकित नहीं है। उक्त दस्तावेज मेरे द्वारा पुलिस को भेजा गया था। जो अनुसंधान अधिकारी द्वारा मांगा गया था। यह कहना सही है कि पुलिस द्वारा धारा 91 जाप्ता फौजदारी का कोई नोटिस नहीं दिया गया था। गवाह से प्रश्न किया गया आदेशिका प्रदर्श पी 2 मे चप्पल फेंकने की बात अंकित नहीं है जिसका उत्तर दिया गया कि आदेशिका मे न्यायिक कार्य मे विघ्न डालने वाली बात मेरे द्वारा स्वंय अंकित की गई थी। आज खुद कहा कि उक्त विघ्न डालने वाली बात में चप्पल फेंकने वाली बात भी आती है। प्रदर्श पी 4 सरकार बनाम अखिलेश, प्रदर्श पी 5 अखिलेश की ऑडरशीट नकल शाखा द्वारा प्रोपर प्रोसेस से नकल नहीं है। और ना ही नकल शाखा द्वारा प्रमाणीकृत की मोहर व हस्ताक्षर नहीं है जिसका उत्तर दिया कि यह कहना सही है कि उक्त दस्तावेज नकल शाखा द्वारा प्रमाणित व प्रतिहस्ताक्षर नहीं किया गया है। आज खुद कहा कि उक्त सभी दस्तावेज मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर सील मोहर कर पुलिस को दिये गये थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 6 केवल फोटोकॉपी है, उनके द्वारा भी प्रमाणित नहीं की गई। यह कहना गलत है कि वकील साहब द्वारा कोई कागज नहीं फाडा गया हो, यह भी कहना गलत है कि वकील साहब द्वारा डाइस पर नहीं चढे हो और मेरे उपर चप्पल ना फेंकी हो। यह कहना गलत है कि वकील साहब द्वारा कोई अभद्र भाषा का प्रयोग ना किया गया हो। गवाह से प्रश्न किया कि देखिये वकील साहब

द्वारा किसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था, जिसके कारण आपके द्वारा आदेशिका एवं तहरीर रिपोर्ट मे उपयोग में ली गई अभद्र भाषा का विवरण नहीं लिखा है जिसका उत्तर दिया कि यह कहना गलत है कि वकील साहब ने अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया हो। अभद्र व अपमानजनक शब्दो का विशिष्ट ब्यौरा देना न्यायालय की गरिमा को ध्यान में रखते हुये आदेशिका मे इर्दाज नहीं किया गया था। यह कहना सही है कि उक्त मीटिंग में उपस्थित नहीं थी, बार द्वारा स्वंय ने यह मीटिंग रखी गई थी। यह कहना सही है कि उक्त दस्तावेज मुझे नहीं दिया गया था। उनके द्वारा सीधे ही अनुसंधान अधिकारी को दिया गया था। बार के सदस्यो ने मुझे मौखिक स्तर पर जानकारी दी थी। यह मेरी जानकारी मे नहीं है कि मुल्जिम कितने बजे गिरफतार किया था। यह कहना गलत है कि मैने पुलिस को बुलाकर मुल्जिम को गिरफतार करवाया हो।

15. अन्य गवाह अशोक पी.ड.2 व्यक्त करता है कि दिनांक 09.08.2017 को समय करीब 2.15 पीएम पर न्यायालय श्री महावीरजी इजलास में था, वहां पर रामफूल पेशकार, सौरभ बाबू, अधिवक्ता जगमोहन, श्रीभान, राधेश्याम, विनोद वर्मा, विनोद , कानि गजराज, पृथ्वीसिंह उपस्थित थे। उस दिन पीठासीन अधिकारी श्रीमति भावना डाइस पर बैठी हुई थी तभी सुरेश एडवोकेट आया जिसने अपमानजनक व अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जिस पर पीठासीन अधिकारी ने उससे कहा कि न्यायालय की गरिमा बनाये रखने का आग्रह किया। जिस पर सुरेश कोधित होकर डाइस पर चढ़कर परिवाद 510 सीआरपीसी सरकार बनाम राजकुमार व सरकार बनाम अखलेश की पत्रावलियों को फाड दिया और अपने पैर मे से चप्पल उताकर पीठासीन अधिकारी पर फेंक कर मारी, जो उनके दाहिने कंधे पर जाकर लगी। सुरेश वहां से भाग गया, सुरेश द्वारा न्यायिक कार्य में बाधा पहुंचाई और डाइस का अपमान किया। पीठासीन अधिकारी ने घटना के सबंध में टाइपशुदा रिपोर्ट दी जो उसने थाने पर जाकर पेश की।

16. जिरह में गवाह व्यक्त करता है कि उस वक्त अदालत में पांच वकील थे, तीन सरकारी कर्मचारी थे। पीओ, रीडर, मै, जगमोहन पीओन भी मौजूद था। पुलिस बयान प्रदर्श से 1 मे अपमानजनक शब्द कौनसे है यह अंकित नहीं है। एफआईआर उसने पढ़कर नहीं देखी, एफआईआर लिफाफे में रखी दी थी। दिनांक 09.08.2017 को ही उसके बयान हुये थे, वह पेशकार जी की तरफ खडा हुआ था। डाइस का गेट खुला हुआ था, डाइस पर गेट है और वह गेट के बगल में खड़ा था। उसने वकील साहब को नहीं रोका था, यह जानकारी में नहीं है कि पेशकार ने वकील को रोका या नहीं। वकील साहब ने गाली गलौच नहीं की थो वह सीधे चढे थे। वकील साहब ने गाली नीचे से दी थी, डाइस पर चढकर नहीं दी थी। उसने सारी बाते पुलिस को बता दी थी, यह मैं नहीं बता सकता कि वकील ने कौनसी चप्पल पहनी थी। यह मैं नहीं बता सकता कि वकील ने बाई चप्पल फेंकी या दाई। प्रदर्श डी 1 में चप्पल किस पैर की थी यह भी अंकित नहीं है, उक्त इस्तगासे पुलिस ने जब्त किये थे।

वह तो एफआईआर के साथ उन दस्तावेजों को देकर आया था, साहब ने ही उसे एफआईआर दी थी जो थाने पर देकर आ गया था।

17. गवाह गजराज पी.ड.3 व्यक्त करता है कि दिनांक 09.08.2017 को कानि के पद पर थाना श्रीमहावीर के पद पर कार्यरत था। उस दिन महावीर न्यायालय में कोर्ट एलसी का कार्य कर रहा था, समय करीब 2.15 पीएम पर वह न्यायालय श्रीमहावीरजी इजलास में था, वहां पर रामफूल पेशकार, सौरभ बाबू, अधिवक्ता जगमोहन, श्रीभान, राधेश्याम, विनोद वर्मा, विनोद, पृथ्वीसिंह उपस्थित थे। उस दिन पीठासीन अधिकारी श्रीमति भावना डाइस पर बैठी हुई थी तभी सुरेश एडवोकेट आया जिसने अपमानजनक व अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जिस पर पीठासीन अधिकारी ने उससे कहा कि न्यायालय की गरिमा बनाये रखने का आग्रह किया। जिस पर सुरेश कोधित होकर डाइस पर चढकर परिवाद 510 सीआरपीसी सरकार बनाम राजकुमार व सरकार बनान अखलेश की पत्रावलियों को फाड दिया और अपने पैर मे से चप्पल उताकर पीठासीन अधिकारी पर फेंक कर मारी, जो उनके दाहिने कंधे पर जाकर लगी। सुरेश वहां से भाग गया।

18. जिरह में गवाह व्यक्त करता है कि प्रदर्श डी 2 में अपशब्द क्या थे शब्दों का विवरण 161 में नहीं है लेकिन वकील साहब ने अपशब्द कहे थे, प्रदर्श डी 2 में किस पैर की जूती थी वह अंकित नहीं है। रीडर मैडम के राइट हेंड की ओर बैठता था, पीओन मैडम के पीछे की तरफ खडा था। उसने तो वकील साहब को भागते हुये देखा, वकील साहब इजलास में से भाग गये थे। वकील साहब को किसी ने नहीं पकडा वह वहां से भाग गये थे। वह नहीं बता सकता कि वकील साहब कितने बजे गिरफतार किया था, दो इस्तगास को फाडकर दो टूक किये थे, जो पुलिस ने मेरे सामने जब्त किये थे।

19. गवाह जगमोहन पी.ड.4 परीक्षित हुआ है जो व्यक्त करता है कि करीब आठ साल पहले दोपहर को दो सवा दो बजे मजिस्ट्रेट श्री महावीरजी भावना जी के कोर्ट में वह, पेशकार रामफूल, सौरव बाबू, वकील विनोद, विनोद वर्मा, घनश्याम, कानि. गजराज व पृथ्वी उप0 थे। सुरेश एडवोकेट का कोई प्रकरण अदालत में लंबित था। भावना व सुरेश में हॉक-टॉक हो रही थी। मैं भावना जी ने उनको समझाने की कोशिश की। गुस्से में आकर सुरेश ने चप्पल फेंककर भावना जी के मारी तथा चप्पल मारकर भाग गये। अभिभाषक संघ श्रीमहावीरजी ने इसका निंदा प्रस्ताव पारित किया था। जिसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट साहब को दी थी।

20. जिरह में गवाह व्यक्त करता है कि वह उस दिन कोर्ट में किस पत्रावली पर कार्य कर रहा था आज मुझे याद नहीं हैं। उसके पास उस दिन 25-30 फाइले थी। मैडम के साथ हॉट-टॉक हो रही थी। हॉट-टॉक सुरेश किसी फाईल के लिए हो रही थी। रीडर साहब अधिकारी के राईट साईड में बैठे हुए थे। डाईस और सुरेश की दूरी करीब 10 फुट थी। चप्पल जो सुरेश ने फेंकी थी वह मैंडम के लगकर डाईस पर रह गयी थी। सुरेश चप्पल मारकर भाग गया था। चप्पल को किसी ने जप्त किया या

नहीं मेरी जानकारी में नहीं हैं। यह जानकारी में नहीं है कि सुरेश की चप्पल दांये या बांये पैर में से किस पैर की थी लेकिन मैडल के राईट साईड में चप्पल पडी थी। अशोक द्वारा रिपोर्ट महावीरजी थाने पर भिजवाने की जानकारी तब जानकारी में आयी जब हम सब अधिवक्तागण द्वारा सुरेश के विरूद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित कर मैडम के पास गये थे तब मैंडम ने अशोक के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाने वाली बात बतायी थी। रिपोर्ट में क्या तथ्य थे यह मेरी जानकारी में नहीं हैं। गवाह से प्रश्न किया कि क्या रिपोर्ट में चप्पल फेंकने वाली बात दर्ज थी गवाह ने उत्तर दिया यह हो सकता और नहीं भी हो सकता है कि मेडम ने अपने सम्मान की खातिर चप्पल फेंकने वाली बात नहीं लिखायी हो। यह कहना गलत है कि मैं सुरेश के द्वारा मैडम पर चप्पल फेंकने वाली बात गलत लिखा रहा हूं। यह कहना गलत है कि सुरेश ने मैडम पर कोई चप्पल नहीं फेंकी हो। निन्दा प्रस्ताव प्रदर्श पी 11 आरजिनल नहीं हो सकता हैं। यह बात सही है कि निन्दा प्रस्ताव प्रदर्श पी 11 क्रमांक संख्या व दिनांक उपर अंकित नहीं है लेकिन निन्दा प्रस्ताव के अन्तर्गत तारीख का उल्लेख हैं। यह सही है कि निन्दा प्रस्ताव प्रदर्श पी 11 पर किसी भी अध्यक्ष की सील मोहर नहीं हैं। यह भी सही है कि निन्दा प्रस्ताव में चप्पल फेंकने वाले वृतान्त का उल्लेख नहीं हैं।

21. गवाह सौरभ पी.ड.7 व्यक्त करता है कि दिनांक 09.08.2017 को जेएम कोर्ट श्रीमहावीरजी में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत था। उस दिन अधिवक्ता सुरेश द्वारा एक इस्तगासा सुरेश बनाम अन्य पेश कर पीठासीन अधिकारी श्रीमति भावना के समक्ष बयान 200 सीआरपीसी लेखबद्ध करने का निवेदन किया था। पीठासीन अधिकारी उस समय न्यायिक कार्य में व्यस्त थे तो उन्होंने कुछ समय इन्तजार करने को कहा। इस पर अधिवक्ता सुरेश क्रोधित हो गये और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायालय की गरिमा बनाये रखने का निवदेन किया। जिस पर अधिवक्ता सुरेश शर्मा डायस पर चढ गये और न्यायालय में पेश इस्तगासा 510 सीआरपीसी सरकार बनाम राजकुमार व सरकार बनाम अखलेश को फाड दिया गया और क्रोधित होकर बाहर जा रहे थे और जाते-जाते उन्होंने अपने पैर से एक चप्पल उतारकर पीठासीन अधिकारी के उपर फेंक दी जो श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दांये कंधे की तरफ लगी। उस वक्त न्यायालय में अधिवक्ता जगमोहन गुर्जर, राधेश्याम, विनोद वर्मा, विनोद व न्यायिक कर्मचारीगण रामफूल, जगमोहन, अशोक भी मौजूद थे।

22. जिरह में गवाह व्यक्त करता है कि वह घटना के वक्त टंकन लिपिक था। इस्तगासा जो फाडे थे वह पीठासीन अधिकारी के पास थे। पीठासीन अधिकारी बांये बैठा था। पीठासीन अधिकारी के समय जो डाईस थी वह लगभग दो फुट थी। महावीरजी कोर्ट में ईजलास पर जाने का रास्ता रीडर साहब व मेरी ओर से था। इस्तगासा रीडर साहब के पास थे जिनको पीठासीन अधिकारी के समक्ष रखा गया था। इस्तगासा को दो टुकडो में फाड दिया था। इस्तगासो में आर्डर सीट नहीं लिखी गयी थी। इस्तगासा उसी दिन पेश हुये थे। इस्तगासा रिकॉर्ड पर नहीं चढे थे। वकील साहब जिनके द्वारा

इस्तगासा फाडे गये थे उनको लेकर नहीं गये थे कोर्ट में ही छोड गये थे। वकील साहब रीडर साहब की साईड से डाईस पर चढे थे। वह पूर्ण रूप से अधिकारी के पास नहीं चढ पाये थे। रीडर साहब ने उनको रोकने की कोशिश की थी। डाईस पर जाने के लिए उसके रास्ते में किवाड नहीं लगे थे। वकील साहब ने चप्पल फेंकी व बांयी ओर गिरी या दांयी ओर गिरी यह जानकारी में नहीं हैं। चप्पल को करीब दस फुट दूर से फेंका था। चप्पल फेंकने वाली घटना इस्तगासा फट जाने के बाद में हुयी थी। वक्त घटना 200 सीआरपीसी के बयान नहीं हो रहे थे। सुरेश बनाम अन्य के परिवाद में अधिवक्ता 200 सीआरपीसी के बयान लेखबद्ध करवाना चाहते थे। इसी बात पर अधिवक्ता सुरेश व पीठाकारी अधिकारी के मध्य हॉक-टॉक हो गयी।

23. गवाह रामफूल पी.ड.11 व्यक्त करता है कि दिनांक 09.08.2017 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि0 श्रीमहावीरजी में रीडर के पद पर कार्यरत था। उस दिन करीब सवा दो बजे पीठासीन अधिकारी श्रीमति भावना डाईस पर बैठी हुयी। अधिवक्ता सुरेश चन्द को उनके परिवाद सुरेश बनाम अन्य में उनको बुलवाया गया। पीठासीन अधिकारी ने उनके परिवाद को 200 व 202 के बयानों में नियत करने को कहा तो वे क्रोधित हो गये और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। पीठासीन अधिकारी ने उनको गरिमा में रहने के लिए कहा तो वे डाईस पर चढकर परिवाद की पत्रावली सरकार बनाम अखलेश तथा सरकार बनाम राजकुमार को फाड दिया व नीचे उतरकर उन्होंने अपने पैर की चप्पल पीठासीन अधिकारी की तरफ फेंकी जो उनके दाहिने कंधे पर लगी। वक्त घटना सौरव सिंघल कनिष्ठ लिपिक, जगमोहन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अशोकचतुर्थ श्रेणी कर्मचारी , श्रीभान एडवोकेट, विनोद एडवोकेट, विनोद वर्मा एडवोकेट, जगमोहन एडवोकेट, राधेश्याम एडवोकेट व कानि. पृथ्वी व गजराज भी उपस्थित थे। इसके बाद सुरेश वहां से भाग गये। उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 08 है जो शामिल पत्रावली हैं।

24. गवाह जिरह में व्यक्त करता है कि वक्त घटना पत्रावली लिख रहा था। कौनसी पत्रावली लिख रहा था आज मुझे ध्यान नहीं है। जो दो पत्रावली फाडी थी वो उस दिन तारीख में थी। उक्त दोनों पत्रावली कॉज लिस्ट में नहीं थी। 510 का परिवाद था जो दर्ज रजिस्टर नहीं होते हैं। उक्त दोनों परिवाद पहली बार पेश हुआ था इसलिए वे तारीख में नहीं थे। पुलिस ने उक्त परिवाद कब पेश किये थे उसे पता नहीं है परन्तु उक्त दोनो परिवाद आदेश में थे। 510 के परिवाद में जिस दिन आदेश होता है उसी दिन दर्ज होते हैं। 510 के परिवाद पेश होने का कोई इन्द्राज नहीं होता हैं। रजिस्टर तो होता है लेकिन उनका इन्द्राज उस दिन नहीं था। यह कहना गलत है कि 510 के परिवाद फाडने की घटना झूठी लिखायी हो और उस दिन कोई 510 का परिवाद पेश नहीं हुआ हो। वह बांयी तरफ बैठा था। चप्पल फेंकने वाली घटना एफआईआर में नहीं लिखी हैं। एफआईआर मुझसे पूछकर नहीं लिखी। एफआईआर लिखने से पूर्व पीठासीन अधिकारी से घटना से संबंधित कोई वार्तालाप नहीं हुआ।

एफआईआर पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने विवेक से दर्ज करायी थी। लेटर वगैरह में उसके नाम का इन्द्राज नहीं था। चप्पल बांयी थी या दांयी थी मुझे नहीं पता परन्तु काले कलर की थी। पत्रावली फौजदारी सींगे की थी जो कोर्ट में डाईस पर रखी थी। वो पत्रावली नष्ट हो गयी या नहीं मेरी जानकारी में नहीं हैं। पत्रावली के दो टुकडे हो गये थे। पत्रावली मेरे और मैडम के बीच में रखी हुयी थी। सुरेश चप्पल फेंककर भाग गये थे। सुरेश को कानि. गजराज व पृथ्वी द्वारा कोर्ट के गेट पर ही पकड लिया था। मेरी जानकारी में नहीं है कि चप्पल जप्त की गयी थी या नहीं हैं।

25. गवाह जगमोहन पी.ड.12 व्यक्त करता है कि दिनांक 09.08.2017 को सिविल न्यायालय श्रीमहावीरजी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन न्यायालय में समय करीब सवा दो-ढाई बजे पीठासीन अधिकारी श्रीमति भावना डाईस पर बैठकर सुनवाई कर रहे थे। उस समय अधिवक्ता सुरेश वहां आये और उन्होंने 510 के इस्तगासे सुरेश बनाम अन्य को लेकर पीठासीन अधिकारी से कहा कि इसको सुनवाई करके इसको भिजवाओ। पीठासीन अधिकारी ने इस्तगासे को 202 के बयानो में रखने के लिए कहा तो सुरेश गुस्सा हो गये और उन्होंने डाईस पर चढकर कुछ कागजात फाड दिये और डाईस पर चप्पल फेंककर मारी जो पीठासीन अधिकारी के दांये कंधे पर लगी। फिर पीठासीन अधिकारी ने इसकी एफआईआर दर्ज करवायी थी।

26. जिरह में गवाह व्यक्त करता है कि यह सही है कि जप्तशुदा चप्पल आज अदालत में नहीं हैं। चप्पल को पौने तीन बजे जप्त किया था। चप्पल दांयी थी या बांयी थी आज मैं नहीं बता सकता। एफआईआर दर्ज कराते समय मैडम ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। स्वविवेक से दर्ज करायी थी। नक्शा मौका कितने बजे बनाया था आज मुझे ध्यान नहीं हैं। फिर कहा कि नक्शा शाम को 4.30 से 05.00 के बीच में बनाया था। प्रदर्श पी 03 में जो समय डाल रखा है वह गलत डाल रखा हैं। यह बात सही है कि 06.25 पर मैडम मौजूद नहीं थी। यह कहना गलत है कि नक्शा मौका पर हस्ताक्षर कोर्ट में नहीं करवाये हो। जप्ती पौने तीन बजे की हैं। प्रदर्श पी 09 पर 06.30 बजे का जो समय डला हुआ है वह गलत डला हुआ हैं। यह बात सही है कि साढे 6 बजे कोर्ट बंद हो गयी थी। हमने पौने तीन बजे चप्पल कोर्ट एलसी व पुलिस वालो को दे दी थी। प्रदर्श पी 03 और पी 09 पर पुलिस ने जो समय अंकित किया है वह गलत अंकित किया हैं। सारी कार्यवाही तीन बजे करा दी थी। यह कहना गलत है कि मैंने कोरे कागजो पर हस्ताक्षर किये हो। यह कहना गलत है कि मैडम ने कोरे कागज पर हस्ताक्षर किये हो। यह कहना गलत है कि 03.30 बजे कोई चप्पल जप्त नहीं हुयी हो। यह बात सही है कि मेरे सामने कोई पत्रावली जप्त नहीं हुयी थी।

27. अनुसंधान अधिकारी लालसिंह पी.ड.13 परीक्षित हुआ है जो संपूर्ण अनुसंधान की ताईद करता है। इस गवाह के समक्ष जप्तशुदा माल एक सफेद थैली में मुंह पर धागे से सिला अनसील्ड पेश होने पर गवाह ने चप्पल देखकर कथन किया कि यह वही चप्पल थी जो उक्त प्रकरण में जप्त की

गयी। जिरह में गवाह व्यक्त करता है कि चाक एफआईआर पर समय डालते है। प्रदर्श पी 17 पर सी से डी भाग पर समय 18.02 अंकित हो तो नहीं कह सकता क्योंकि एचएम का समय था। जब एफआईआर पेश की तब उसने हस्ताक्षर किये तथा वह थाने पर ही था। एफआईआर लेकर कोर्ट नहीं गया, एचएम को भेजा था। प्रदर्श पी 1 को पढा जिसमें चप्पल का हवाला है या नहीं ध्यान नहीं। यह सही है कि प्रदर्श पी 1 पर कोई मोहर नहीं है लेकिन हस्ताक्षर है जिसके साथ संलग्न दस्तावेज की जप्ती कब बनायी ध्यान नहीं। यह कहना गलत है कि उसने बयान कम्प्यूटर पर प्रिंट करवाते समय बदल दिये हो। बनवारीपुर मोड श्रीमहावीजी से वकील साहब को गिरफतार किया तब उन्होंने जूते पहन रखे थे जिसका अंकन फर्द गिरफतारी पर नहीं है।

28. इस प्रकार पत्रावली पर आयी संपूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण करें तो प्रकरण में अभियुक्त पर धारा 332,353,228 भादंसं व 3 पीडीपीपी एक्ट का आरोप है। परिवादिया श्रीमति भावना सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमहावीरजी द्वारा प्रदर्श पी 1 लिखित रिपोर्ट में दिनांक 09.08.2017 को बतौर पीठासीन अधिकारी न्यायालय में न्यायिक कार्य करते समय सुरेश द्वारा पीठासीन अधिकारी से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाना व्यक्त करते हुये अभियुक्त का क्रोधित होकर डायस पर चढकर 510 सीआरपीसी के इस्तगासा को फाडना और न्यायिक कार्य में विघ्न कर पीठासीन को अपने कर्तव्य के निर्वहन में निवारित करने हेतु भयोप्रद किया जाना उल्लेखित किया गया है।

29. प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 332 भादंसं के संदर्भ में अवलोकन करें तो धारा 332 भादंसं हेतु अभियोजन द्वारा निम्न संघटक साबित किया जाना आवश्यक है कि - 1. क्षति लोक सेवक की हो और 2. जब वह कारित की गयी हो तब लोक सेवक लोक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो। लोक सेवक को उसके कार्यों से वंछित किये जाने के उददेश्य से व लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के विधिक रूप से पालना में कुछ करने का प्रयोग किया गया हो। इस प्रकार न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखा है कि परिवादिया श्रीमति भावना सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमहावीरजी द्वारा दिनांक 09.08.2017 को लोक सेवक के रूप में लोक कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा था। इस हेतु परिवादिया द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में स्पष्ट रूप से दिनांक 09.08.2017 को न्यायालय में इस समय करीब 2.15 बजे न्यायिक कार्य किया जाना अभिव्यक्त किया है जिनकी साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रकरण में पी.ड.1 के तौर पर स्पष्ट रूप से दिनांक 02.08.17 से 09.04.2018 तक सिविल न्यायायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमहावीरजी के पद पर पदस्थापित होना व दिनांक 09.08.2017 को समय 2 बजे न्यायालय की इजलास में अपनी सीट पर बैठकर न्यायिक कार्य किया जाना व्यक्त किया है। इस संदर्भ में कार्यग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 7 व उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 8 को भी प्रदर्शित करवाया है जिनका अवलोकन करें तो माननीय राजस्थान

उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक स्था/आरजेएस/95/2017 दिनांक 28.07.2017 की अनुपालना में परिवादिया द्वारा दिनांक 02.08.17 को अपना कार्यभार ग्रहण किया जाना व प्रदर्श पी 8 उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रति से दिनांक 09.08.17 को बतौर पीठासीन अधिकारी सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमहावीरजी पर उपस्थित होकर न्यायिक कार्य किया जाना पूर्ण रूप से प्रमाणित है। प्रदर्श पी 2 के इस संदर्भ में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा पीठासीन अधिकारी के लोक सेवक के रूप में लोक कृत्य निर्वहन किये जाने बाबत खंडन हेतु कोई भी प्रश्न जिरह के दौरान पूछा जाना प्रकट नहीं होता है। प्रकरण में अन्य साक्षियों की साक्ष्य का अवलोकन करें तो गवाह पी.ड.2 अशोक जो दिनांक 09.08.17 को तामील कुनिंदा था समय 2.15 पर श्रीमहावीरजी में इजलास में कार्य किया जाना व पीठासीन अधिकारी का डाईस पर बैठा होना व्यक्त् करता है। इसी प्रकार गजराज पी.ड.3 भी दिनांक 09.08.17 को कानि के पद पर रहते हुये समय 2.15 पीएम पर स्वयं का श्रीमहावीर जी कोर्ट में होना व अपनेअलावा रामफूल पेशकार, सौरभ लिपिक, जगमोहन अधिवक्ता का होना व्यक्त करते हुये पीठासीन अधिकारी का इजलास में बैठना व्यक्त करता है। अन्य गवाह सौरभ पी.ड.7 जो वक्त घटना न्यायालय श्रीमहावीरजी में लिपिक था उस वक्त पीओ साहब द्वारा न्यायिक कार्य का किया जाना व्यक्त करता है। रामफूल पी.ड.1 भी घटना दिनांक 09.08.2017 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमहावीरजी में रीडर पद पर कार्यरत रहते हुये पीओ द्वारा डाईस पर बैठना और पीठासीन अधिकारी द्वारा परिवादी को 200, 202 सीआरपीसी के तहत बयान लिये जाने पर अभियुक्त का क्रोधित होना जाहिर किया है। इसी प्रकार पी.ड.12 जगमोहन द्वारा भी दिनांक 09.08.17 को समय 2.15 से 2.30 बजे पीठासीन अधिकारी द्वारा डाईस पर बैठकर सुनवाई किया जाना व्यक्त किया है। प्रकरण में अधिवक्ता जगमोहन पी.ड.4 द्वारा भी समय 2.15 बजे परिवादी व अन्य कर्मचारी रामफूल, सौरभ, विनोद, जगमोहन का उपस्थित होना जाहिर करता है। उक्त सभी गवाहान से दौराने जिरह इस प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं किया गया है कि परिवादिया श्रीमति भावना न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत नहीं रही हों व समय 2.15 बजे डाईस पर बैठकर न्यायिक कार्य नहीं कर रही हों। इस स्थिति में सर्वप्रथम यह तथ्य प्रमाणित है कि परिवादिया परिवादिया श्रीमति भावना सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमहावीरजी के तौर पर कार्यरत रहते हुये वक्त घटना समय 2.15 पीएम पर बतौर लोक सेवक लोक कृत्य का निर्वहन कर रही थी।

30. अब न्यायालय को देखना है कि परिवादिया श्रीमति भावना जो कि लोक कर्तव्यों का निर्वहन कर रही थी उन्हें लोक सेवक के नाते लोक कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत अथवा अपने कर्तव्यों के विधि पूर्ण निर्वहन किये जाने के लिये किसी बात से पूर्ण अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा उपहति कारित की गयी। इस संबंध में सर्वप्रथम प्रदर्श पी 1 व 2 का अवलोकन करें तो प्रदर्श पी 1 में उल्लेख किया गया है कि अधिवक्ता सुरेश इस्तगासा सुरेश बनाम अन्य में उपस्थित आये तथा पीठासीन

अधिकारी से अपमानजनक अभद्र भाषा का प्रयोग किया जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा गरिमा में रहते हुये व्यवहार किये जाने का आग्रह किया जिस पर अभियुक्त क्रोधित होकर धारा 510 सीआरपीसी के सरकार बनाम राजकुमार व सरकार बनाम अखलेश के परिवाद को फाड दिया व न्यायालय कार्यों में विघ्न डालकर डायस का अपमान किया। पीठासीन अधिकारी पी.ड.1 भावना द्वारा दौराने साक्ष्य भी इस तथ्य की स्वीकारोक्ती की गयी है कि जब वह 2 बजे न्यायालय की डायस पर कार्य कर रही थी तब सुरेश बनाम अन्य में अधिवक्ता सुरेश उपस्थित आये तथा उन्हें सुनकर 200, 202 सीआरपीसी के तहत बयान कराने की कहा जिस पर वह क्रोधित हो गये और अपमानजनक अभद्र भाषा का प्रयोग कर इजलास में रखी पत्रावली फाड दी तथा सरकार बनाम राजकुमार व अखलेश 510 सीआरपीसी के इस्तगासा फाड दिये और अपने पैर में पहनी चप्पल फेंककर दी जो उसके दाहिने कंधे पर लगी और सुरेश न्यायालय से भाग गया। जिरह में भी परिवादिया द्वारा स्वीकार किया है कि एफआईआर उनके निर्देशन में बोलकर टाईप की गयी थी। एफआईआर जो लिखी है उससे अधिक घटना नहीं हुयी। गवाह ने चप्पल फेंकने वाली बात एफआईआर में नहीं लिखायी जिसके संदर्भ में सुझावित प्रश्न किया जिसके बाबत बार बेंच में सामंजस्य रखना और इस बात को प्रचारित नहीं किया जाना व्यक्त किया। अन्य सुझावित प्रश्न एफआईआर का मुख्य तथ्य छुपाया है कि बाबत उत्तर दिया कि उनके द्वारा मुख्यतः सारवान बातें लिखायी है। इसी प्रकार अन्य प्रश्न कि आपके द्वारा सारवान तथ्य छुपाया है का उत्तर दिया कि यह गलत है कि सारवान तथ्य छुपाया हो अजखुद कहा कि उनके न्यायालय में कार्य में विघ्न की बात लिखायी थी। अन्य सुझावित प्रश्न यह कि वकील साहब द्वारा चप्पल नहीं लिखायी जिसके कारण एफआईआर में बात नहीं लिखायी है जिसके प्रतिउत्तर में जवाब दिया कि वकील साहब द्वारा चप्पल तहरीरी रिपोर्ट में अक्षरतः विशिष्ठ तथ्यों का अंकन नहीं किया है। इसी प्रकार अन्य सुझावित प्रश्न आपके द्वारा कानूनी मशवरा कर चप्पल फेंकने की बात लिखायी है इस बाबत तथ्य अस्वीकार करते हुये स्वयं कानून का ज्ञान होना व्यक्त किया है। गवाह द्वारा चप्पल का रंग काला होना यक्त करते हुये अन्य प्रश्न कि प्रदर्श पी 2 में चप्पल फेंकना नहीं है पर पीठासीन अधिकारी द्वारा व्यक्त किया कि न्यायिक कार्य में विघ्न की बात उसके द्वारा स्वयं अंकित की है अजखुद कहा विघ्न वाली बात में चप्पल की बात भी आती है। इसी प्रकार परिवादिया श्रीमती भावना सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमहावीरजी द्वारा लिखित रिपोर्ट में न्यायिक कार्य में विघ्न डालना डायस का अपमान करना पीठासीन अधिकारी को अपने कर्तव्य से निर्वहन में बाधा कारित करने व भयोपरत का प्रश्न किया है तो मुख्य परीक्षा में उक्त सभी तथ्यों के साथ अधिवक्ता सुरेश द्वारा चप्पल खोलकर फेंकना जाहिर किया है और पीठासीन अधिकारी द्वारा स्पष्टतः एफआईआरसारवान तथ्यों का उल्लेख किया है और बार तथा बेंच में आपसी सामंजस्य व घटना के तथ्य प्रचारित नहीं करने के कारण एफआईआर में उक्त तथ्य उल्लेखित नहीं किया जाना जाहिर किया है।

31. इस हेतु सर्वप्रथम धारा 332 भादसं का अवलोकन करें तो धारा 332 भादस में व्यक्त किया है कि जो कोई किसी व्यक्ति को, जो लोक सेवक हो, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो अभवा इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को, वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करे अथवा वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गयी या किये जाने के लिये प्रयतित किसी बात के परिणामस्वरूप स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन साल तक की हो सकेगी, या जुर्माना से, या दोनों से दंडित किया जायेगा।

32. इस प्रकार धारा 332 भादसं में लोक सेवक लोक कर्तव्य के निर्वहन या भयोप्रत करने अथवा लोक सेवक के नाते स्वेच्छया उपहति कारित किया जाना उल्लेखित किया गया है।

33. इस संदर्भ में भादसं की धारा 321 में परिभाषित किया गया है कि जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तदद्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे या इस ज्ञान के साथ करता है कि यह संभाव्य है कि वह तदद्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे और किसी व्यक्ति को उपहित कारित करता है, वह स्वेच्छया उपहति करता है यह कहा जाता है। इस संबंध में धारा 319 भादसं में उपहति को वर्णित किया गया है। धारा 319 भादसं के अंतर्गत जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर पर पीडा, रोग, अंग शिथिलता कारित करता है वह उपहति कारित किया जाना कहलाता है। इस प्रकार धारा 319 भादसं के तहत मुख्यतः शारीरिक पीडा, रोग, अंग शिथिलता कारित किया जाना 319 भादसं में माना गया है। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में परिवादिया द्वारा अधिवक्ता सुरेश द्वारा न्यायिक कार्यवाही करते समय 200 सीआरपीसी के बयान की कहने पर अधिवक्ता द्वारा क्रोधित होकर इजलास की पत्रावली फाडकर फेंकना व न्यायिक कार्य में परिवादों को फाडकर बाधा उत्पन्न करते हुये अपने पैर में पहनी चप्पल फेंकना जाहिर किया है। धारा 319 भादसं में अंग शिथिलता के अंतर्गत शारीरिक व मानसिक पीडा का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि एफआईआर एनसाईक्लोपीडिया नहीं है और एफआईआर में मिनट टू मिनट घटना का वर्णन किया जाना भी आवश्यक नहीं है।

34. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत Kirender Sarkar and Ors. vs State of Aasam, **AIR 2009 SUPREME COURT 2513 में भी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया है कि ,एफआईआर एक एनसाईक्लोपीडिया नहीं है और उसके अंतर्गत केवल मात्र सारभूत तथ्यों का उल्लेख किया जाना ही पर्याप्त है।**

35. इस प्रकार दौराने बहस अधिवक्ता बचाव पक्ष का उठाया उज्र कि एफआईआर में चप्पल फेंकने वाली बात का उल्लेख नहीं है इंद्राज किया जाना आवश्यक नहीं है और माननीय उच्चतम

न्यायालय द्वारा स्पष्टतः अभिनिर्धारित किया गया है कि एफआईआर में केवल मात्र सारवान बातों का उल्लेख आवश्यक है जिसकी स्वीकृति परिवादिया द्वारा की गयी है। इस प्रकार परिवादिया की साक्ष्य से पूर्ण रूप से यह स्पष्टतः प्रमाणित है कि परिवादिया श्रीमति भावना बतौर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली समय 2.15 पर न्यायिक कार्य का निष्पादन कर रही थी और उनके न्यायिक कार्य निष्पादित करते समय न्यायिक कार्यो से निवृत किये जाने के उददेश्य से भयोप्रत निवारित कर चप्पल फेंककर स्वेच्छाया उपहति कारित की गयी।

36. पत्रावली पर अन्य साक्ष्य का भी अवलोकन करें तो पी.ड.2 अशोक भी इस बात को सशपिा बयानों में स्वीकार करता है कि पीठासीन अधिकारी डायस पर बैठी तभी सुरेश आया और अपमानजनक अभद्र भाषा का प्रयोग किया तथा पीठासीन अधिकारी ने न्यायिक गरिमा बनाने की बात कही जिस पर सुरेश क्रोधित हो गया और 510 सीआरपीसी की पत्रावली को फाड दिया और पैर की चप्पल पीठासीन अधिकारी पर फेंककर मारी जो उनकी दाहिने कंधे पर लगी उसके बाद वहां से भाग गया। दौराने जिरह सुझावित प्रश्न कि गवाह बयान करता है कि पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 में अपमानजनक बात अंकित नहीं है, एफआईआर नहीं पढी, लिफाफा लेकर गया था। आगे गवाह बयान करता है कि डायस का गेट खुला था, गेट बगल में था उसने वकील साहब को नहीं रोका। वकील साहब ने गाली गलौच नहीं की। सीधा चढे गाली गलौच नचे से दी। डायस पर चढकर नहीं दी, चप्पल किस पैर की थी नहीं बता सकता। इसी प्रकार पी.ड.3 गजराज द्वारा भी पीठासीन अधिकारी की साक्ष्य का समर्थन मुख्य परीक्षा में किया है तथा जिरह में रीडर का मैडम के राईट हैंड पर बैठा होना तथा पीओन का पीछे खडा होना व्यक्त किया है। वकील साहब को इजलास से भागना जाहिर किया है। यह गवाह व्यक्त करने में असफल रहा है कि सुरेश द्वारा किन शब्दों का प्रयोग किया गया और किस पैर का जूता फेंका था। सौरभ पी.ड.7 द्वारा भी पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायालय के कार्य करते हुये अधिवक्ता सुरेश का क्रोधित होकर अभद्र भाषा का प्रयोग कर डायस पर से 510 सीआरपीसी के सरकार बनाम राजकुमार व अखलेश के इस्तगासा फाडना और पैर से चप्पल पीठासीन अधिकारी पर फेंकना जाहिर किया है। दोराने जिहर भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पीठासीन अधिकारी के बॉयी ओर खडा था तथा कोर्ट में इजलास का रासता रीडर की ओर था। रीडार के पास इस्तगासा था जिसे पीठासीन अधिकारी के समक्ष रखा दो टुकडों में फाड दिया। आदेश नहीं लिखा था रिपोर्ट पर नहीं चढे फाड दिया उन्हें सुरेश अधिवक्ता लेकर नहीं गया, न्यायालय में फाडा गया। इस्तगासा का क्या किया जानकारी नहीं। वकील साहब रीडर की साईड चढे उन्हें रोकने की कोशिश की थी। वकील साहब ने चप्पल फेंकी। 10 फीट दूर फेंकी। चप्पल फेंकने की घटना, इस्तगासा फाडने से पहले हुयी, वक्त घटना 202 सीआरपीसी के बयान नहीं हुये। पीठासीन अधिकारी व अधिवक्ता में हॉट टॉक हुयी थी। इसी प्रकार रामफूल पी.ड.11 भी न्यायालय में रीडर के पद पर रहते हुये अधिवक्ता सुरेश को परिवाद

सुरेश बनाम अन्य में बुलाने पर धारा 200 व 202 सीआरपीसी के बयान कराने की कहने पर क्रोधित होकर अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा गरिमा में रहने की कहने पर सरकार बनाम अखलेश व राजकुमार की पत्रावली फाडकर नीचे उतरकर पैर की चप्पल पीठासीन अधिकारी के उपर फेकना व उनके दाहिने कंधे पर लगना व्यक्त करता है। जिरह में गवाह पुलिस द्वारा उक्त परिवाद कब पेश किया पता नहीं परन्तु उन्त दोनों परिवाद आदेश में होना तथा 510 के परिवाद में जिस दिन आॅर्डर होता है उसी दिन दर्ज होना, परिवाद फाडने की घटना झूठी नहीं होना तथा एफआईआर उससे पूछकर नहीं लिखाया जाना तथा एफआईआर लिखने से पूर्व पीठासीन अधिकारी से धटना से संबंधित वार्तालाप नहीं होना तथा पत्रत्रावली के दो टुकडे जो जाना, पत्रावली स्वयं तथा मैडम के बीच में रखी होना तथा सुरेश द्वारा चप्पल फेंकना व्यक्त किया है। इसी प्रकार गवाह जगमोहन पी.ड.12 भी घटना की ताईद करते हुये जिरह में 6.25 पर मैडम का मौजूद नहीं होना, प्रदर्श पी 9 पर 6.30 का जो समय डला है वह गलत होना साढे 6 बजे कोर्ट का बंद हो जाना व्यक्त किया है।

37. इस प्रकार इस प्रकार प्रकरण के मुख्य साक्षी भी स्पष्ट रूप से पीठासीन अधिकारी का डायस पर बैठना व पीठासीन अधिकारी से अधिवक्ता सुरेश द्वारा 200, 202 सीआरपीसी के संदर्भ में हॉटटॉक होना व अधिवक्ता द्वारा डायस पर चढकर सरकार बनाम राजकुमार व अखलेश का इस्तगासा फाडना व पीठासीन अधिकारी पर चप्पल फेंकना पूर्ण रूप से व्यक्त किया है। किसी भी गवाह की साक्ष्य से अभियोजन साक्ष्य खंडित नहीं होती है।

38. हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी लालसिंह पी.ड.13 भी प्रकरण में दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 बनाया जाकर जप्तशुदा चप्पल प्रदर्श पी 9 और फाडे गये इस्तगासा प्रदर्श पी 10 को जप्त किया जाना जाहिर किया है। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदर्श पी 1 पर श्रीमति भावना सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमहावीरजी का अंकन होना स्वीकार किया है और प्रदर्श पी 1 से भी पीठासीन अधिकारी के सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमहावीरजी का अंकन होना स्वयं मोहर ही माना जावेगा।

39. प्रकरण में चप्पल अनुसंधान अधिकारी द्वारा मौके से जप्त की गयी है और दिनांक 21.08.2017 को इस्तगासा सरकार बनाम अखलेश व सरकार बनाम राजकुमार को प्रदर्श पी 4 व 6 के रूप में जप्त किया गया है। प्रदर्श पी 10 जो कि फर्द जप्ती इस्तगासा का अवलोकन करें तो फर्द जप्ती में स्पष्ट रूप से भी इस तथ्य का उल्लेख है कि **न्यायालय से मूल इस्तगासा प्राप्त करने हेतु निवेदन किया गया और न्यायालय द्वारा फोटोप्रति प्रदान की गयी है। न्यायालय द्वारा जाहिर किया गया कि वक्त शहादत इस्तगासा पेश कर दिये जावेंगे।** हस्तगत प्रकरण में इस्तगासा प्रदर्श पी 4 व 6 की सत्यापित प्रति है। इस प्रकार प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी लालसिंह द्वारा भी दौराने कथन इस्तगासे की सत्यप्रति व जो चप्पल उपहति कारित करने में प्रयोग की गयी प्रदर्श पी 9 के रूप में जप्त की जाकर

प्रदर्श पी 16 जमा मालाखाना किया गया है। न्यायालय के समक्ष चप्पल बतौर साक्ष्य प्रस्तुत हुयी हालांकि चप्पल सीलमोहर नहीं की गयी है, परंतु अभियुक्त पर जो आरोप अधिरोपित किये हैं उनके लिये चप्पल का सीलमोहर किया जाना आवश्यक नहीं है।

40. प्रकरण में मालखाना का गवाह पी.ड.10 सुरेश चंद परीक्षित हुआ है जो एक रैग्जीननुमा चप्पल एक कपडे की थैली में रखकर जमा मालखाना किया जाना व्यक्त करता है। इस प्रकार प्रकरण में मुख्य साक्षियों की साक्ष्य से व अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट होता है कि परिवादिया बतौर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली समय 2.15 पर न्यायिक कार्य का निष्पादन कर रही थी और उनके न्यायिक कार्य निष्पादित करते समय न्यायिक कार्यो से निवृत किये जाने के उददेश्य से भयोपरत निवारित कर चप्पल फेंककर स्वेच्छाया उपहति कारित की गयी। हालांकि प्रकरण में श्रीभान पी.ड.5, विनोद पी.ड.6, विनोद पी.ड.8, राधेश्याम पी.ड.9 पक्षद्रोही रहे है परंतु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि उक्त सभी बतौर अधिवक्ता साक्षी के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत हुये है तथा उक्त गवाहान अभियुक्त से हितबद्ध नहीं हो। इस स्थिति में उक्त अधिवक्ताओं का पक्षद्रोही होना घटना के अनुक्रम को किसी भी प्रकार से खंडित नहीं करता है। इस स्थिति में अभियोजन सर्वप्रथम भादंसं की धारा 332 का आरोप पूर्ण रूप से प्रमाणित करने में सफल रहा है।

41. जहां तक धारा 353 भादंसं का प्रश्न है तो धारा 353 भादंसं में लोक सेवक का लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निष्पादन करते समय जब कि वह लोक कर्तव्यों के निर्वहन को निवारत या भयोपरत करके लोक सेवक के नाते कर्तव्यों का विधिपूर्ण निर्वहन किये जाने के लिये किसी भी परिणामस्वरूप हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना धारा 353 भादंसं में आता है। हस्तगत प्रकरण में श्रीमति भावना सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमहावीरजी एवं न्यायालय कर्मचारी अशोक पी.ड.2, जगमोहन पी.ड 04, सौरभ पी.ड.7, रामफूल पी.ड.11 तथा अधिवक्ता जगमोहन पी.ड.12 तथा पुलिसकर्मी गजराज पी.ड.03 की साक्ष्य से पूर्ण रूप से प्रमाणित हो चुका है कि पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमहावीरजी दिनांक 09.08.2017 को समय 2.15 बजे न्यायालय में डायस पर बैठकर न्यायालय का कार्स सम्पादित कर रही थी तथा अभियुक्त से धारा 200, 202 सीआरपीसी के परिवाद में बयान कराने की कहने पर उसका क्रोधित होने पर अभद्र भाषा का प्रयोग करना और आपराधिक बल का प्रयोग करते हुये अपने पैर में पहनी चप्पल का पीठासीन अधिकारी की ओर फेंकी गयी व न्यायिक कार्य में बाधा कारित करने हेतु परिवादों को फाडकर फेंका गया। इस स्थिति में अभियोजन का अभियुक्त के विरूद्ध धारा 353 भादंसं का अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है।

42. जहां तक धारा 228 भादंसं का प्रश्न है तो धारा 228 भादंसं में किसी न्यायिक कार्यवाही में बैठे लोक सेवक (जैसे जज या मजिस्ट्रेट) का जानबूझकर अपमान करने या उनके कार्य में बाधा डालने से संबंधित है। इस संबंध में पी.ड.1 भावना भार्गव सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमहावीरजी एवं न्यायालय कर्मचारी अशोक पी.ड.2, जगमोहन पी.ड 04, सौरभ पी.ड.7, रामफूल पी.ड.11 तथा अधिवक्ता जगमोहन पी.ड.12 तथा पुलिसकर्मी गजराज पी.ड.03 के द्वारा अधिवक्ता सुरेश चंद का न्यायालय में आकर पीठासीन अधिकारी से हॉट टॉक किया जाना तथा डायस पर चढकर सरकार बनाम अखलेश प्रदर्श पी 4, आदेशिका प्रदर्श पी 5 से इस्तगासा को फाड दिया जाना अभिव्यक्त किया है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो प्रदर्श पी 2 आदेशिका, प्रदर्श पी 8 उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रति को प्रदर्शित कराया है जिससे कि श्रीमति भावना सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमहावीरजी का बतौर पीठासीन अधिकारी कार्य किया जाना व अभियुक्त द्वारा डायस पर रखी पत्रावलियों को फाड दिया जाना प्रकट होता है। अभियोजन की ओर से प्रदर्श पी 4 के तौर पर सरकार बनाम अखलेश इस्तगासा तथा प्रदर्श पी 5 उक्त इस्तगासा की आदेशिका को प्रदर्शित करवाया है जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेक प्रथम वर्ग श्रीमहावीरजी द्वारा सत्याप्रतियां है। उक्त इस्तगासा की प्रतियों को अनुसंधान अधिकारी लालसिंह द्वारा जरिये फर्द प्रदर्श पी 10 जप्त किया गया है और प्रदर्श पी 10 के अंतर्गत पत्रावलियां फटी हुयी होना प्रतीत होती है। इस स्थिति में अभियोजन अभियुक्त पर धारा 228 भादंसं का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है।

43. **जहां धारा 3 पीडीपीपी एक्ट का प्रश्न है** तो सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान किया जाना आवश्यक है। इस हेतु पीठासीन अधिकारी श्रीमति भावना एवं समस्त साक्षियों के द्वारा एकमत होकर अभियुक्त सुरेश द्वारा न्यायालय में डायस पर चढकर सरकार बनाम राजकुमार व सरकार बनाम अखलेश के परिवाद जो कि 510 भदंसं के तहत पेश किये गये उन्हें फाडा जाना व्यक्त किया है। इस संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन करें तो अभियोजन की ओर से प्रदर्श पी 4 के तौर पर सरकार बनाम अखलेश इस्तगासा तथा प्रदर्श पी 5, उक्त इस्तगासा की आदेशिका, प्रदर्श पी 6 इस्तगासा सरकार बनाम राजकुमार को प्रदर्शित करवाया है जिनका प्रथम दृष्टया कटा फटा होना प्रकट होता है। इस स्थिति में अभियोजन अभियुक्त पर धारा 3 पीडीपीपी एक्ट का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है।

44. ऐसे में समस्त साक्षियों की साक्ष्य से अभियोजन यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 09.08.2017 को समय 2.00-2.15 पीएम या लगभग श्रीमति भावना जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमहावीरजी के पद पर लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही थी, को लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत कर आपराधिक बल का प्रयोग कर स्वेच्छाया उपहति कारित कर न्यायिक कार्य में विघ्न डाला तथा दांडिक परिवाद सरकार

बनाम राजकुमार व सरकार बनाम अखलेश की पत्रावलियों को यह जानते हुये फाड दिया। अतः अभियुक्त सुरेश को भादंसं की धारा 332, 353, 228 एवं 3 पीडीपीपी एक्ट में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

- आदेश -

45. फलतः सुरेश चंद पुत्र ओमप्रकाश, निवासी गढमौरा हाल निवासी बनवारीपुरा मोड श्रीमहावीरजी जिला करौली (राज.) को अपराध अंतर्गत भादंसं की धारा 332, 353, 228 एवं 3 पीडीपीपी एक्ट में दोषसिद्ध किया जाता है।

(देवेन्द्र कुमार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली (राज 0)

46. सजा के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त से नरमी का रूख अपनाते हुये परिवीक्षा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपित अपराध को दृष्टिगत रखते हुए यथोचित सजा से दण्डित किए जाने का निवेदन किया गया। उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अभियुक्त पर न्यायिक अधिकारी के न्यायालय में न्यायिक कार्य करने के दौरान अपमानित करने व आपराधिक बल का प्रयोग करने का आरोप प्रमाणित हुआ है जो कि गंभीर प्रकृति का कृत्य है। ऐसी स्थिति में कारित अपराध व आरोपित अपराध में विहित दण्ड व प्रकरण की समस्त परिस्थितियों का समेकित रूप में दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है बल्कि अभियुक्त को निम्नानुसार दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

: <u>दण्डादेश</u> :

47. सुरेश चंद पुत्र ओमप्रकाश, निवासी गढमौरा हाल निवासी बनवारीपुरा मोड श्रीमहावीरजी जिला करौली (राज.) को अपराध अंतर्गत भादंसं की धारा 332, 353, 228 एवं 3 पीडीपीपी एक्ट संदेह से परे प्रमाणित पाये जाने पर दोषसिद्ध किया जाकर अभियुक्त को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है।

(I) अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत **धारा 332 भारतीय दण्ड संहिता** में दोषसिद्धि पर **03 साल (तीन साल)** का साधारण कारावास एवं 10,000/- रूपये (दस हजार रूपए) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त पन्द्रह दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

(II) अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत **धारा 353 भारतीय दण्ड संहिता** में दोषसिद्धि पर **02 साल (दो साल)** का साधारण कारावास एवं 5,000/- रूपये (पॉच हजार रूपए) अर्थदण्ड से

दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त दस दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

(III) अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत **धारा 228 भारतीय दण्ड संहिता** में दोषसिद्धि पर **06 माह (छः माह)** का साधारण कारावास एवं 1,000/- रूपये (एक हजार रूपए) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त पॉच दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

(IV) अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत **धारा 3 पीडीपीपी एक्ट** में दोषसिद्धि पर **01 साल (एक साल)** का साधारण कारावास एवं 5,000/- रूपये (पॉच हजार रूपए) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त दस दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

(2) अभियुक्त द्वारा उक्त प्रकरण में भुगती गई पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा अवधि को धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार मुजरा किया जावे। सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी। उक्तानुसार सजा वारण्ट मुर्तिब हो। अभियुक्त को निर्णय की प्रति नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

(देवेन्द्र कुमार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली (राज0)

48. निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 04-06-2026 को मेरे द्वारा विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली (राज0)